ADMN.10

JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LTD

(RAJASTHAN GOVERNMENT UNDERTAKING)

New Power House, Jodhpur – 342 003 Tel.No. 0291-2651337: Fax No. 0291- 2741870

NO. JdVVNL/ MD/ Secy.(Admn.) JU/S.Estt/ F. / OO-416/ D.1361 DT. 10.02.2006.

ORDER

The Board of Directors in its 88th meeting held on dated 29th Nov., 2005 has accorded approval for adoption of the transfer policy in respect of Administrative/ Accounts/ General/ Technical cadre officers/ officials of Jodhpur Discom as approved by the Coordination Committee in its 87th Meeting held on 24/25.10.2005 (Enclosed).

Encl:- As above.

(Veena Lahoti)
Secretary (Admn.)
JdVVNL, Jodhpur.

Copy to the following for information and needful action:

1. The Chief Engineer (O&M-JDZ), Jodhpur Discom, Jodhpur.
2. The Chief Engineer (CPM), Jodhpur Discom, Jodhpur.
3. The Financial Advisor & Controller of Accounts, Jodhpur Discom, Jodhpur.
4. The Dy. Chief Engineer (MM&C), Jodhpur Discom, Jodhpur.
5. The Chief Accounts Officer, Jodhpur Discom, Jodhpur.
6. The Superintending Engineer ( ), Jodhpur Discom, ______________
7. The Dy. Director Personnel (HQ/ JZ/ BZ), Jodhpur Discom, Jodhpur/ Bikaner.
8. The Company Secretary, Jodhpur Discom, Jodhpur.
9. P.S. to Chairman & Managing Director, RRVPNL/ Jodhpur Discom/ Jaipur Ajmer Discom, Jaipur.
10. P.S. to Chairman & Managing Director, RRVUNL, Jaipur.
11. P.S. to Director (F&CA), RRVPNL, Jaipur.
12. The Sr. Accounts Officer ( ), Jodhpur Discom, ______________
13. The Executive Engineer ( ), Jodhpur Discom, ______________
14. The Public Relations Officer, Jodhpur Discom, Jodhpur.

Encl:- As above.

Secretary (Admn.)
JdVVNL, Jodhpur.

order

विद्युत वितरण निगमों में प्रशासनिक/लेखा/मंत्रालयिक/तकनीकी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु दिशा निर्देश

1. किसी भी निगम अधिकारी/कर्मचारी को साधारणतया दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नही किया जायेगा व अधिकतम पांच वर्ष से अधिक एक ही पद पर पदस्थापित नही रखा जायेगा । अधिकारियों/ कर्मचारियों की कार्य योग्यता, क्षमता एवं दक्षता को स्थानान्तरण करते समय विशेष ध्यान दिया जायेगा। न्यूनतम दो वर्ष से पूर्व स्थानांतरण केवल निम्न परिस्थितियों/कारणों से ही किया जा सकेगा :-

   क निगम अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध ऐसी गंभीर शिकायत, जो प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो ।

   ख कर्मचारी की पदोन्नति/पदावनति/पद समाप्ति पर ।

   ग प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर ।

   घ परस्पर स्थानान्तरण जिसमें दोनों व्यक्तियों ने अनुरोध किया हो ।

   ड कर्मचारी स्वयं किसी गंभीर रोग जैसे हृदय रोग, पक्षाघात, गुर्दारोग, कैंसर, क्षय रोग एवं विकलांगता आदि से पीडित हो व

   च अधिकारी/कर्मचारी जो पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में चल रहे हैं ।

2. स्थानान्तरण साधारणतया नये शिक्षा सत्र से पूर्व माह मई व जून में किए जायेगें ।

3. मृत कर्मचारी के आश्रित एवं अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों (वेतनमान 1 से 3) का, यदि उनके विरूद्ध नियंत्रक अधिकारी की कोई प्रतिकूल टिप्पणी/शिकायत नहीं हो तो, यथा संभव उन्हें उनके गृह जिले या उनके समीपस्थ स्थानों पर पदस्थापित किया जावे ।

पति/पत्नि के विद्युत निगमों या राज्य सरकार में सेवारत होने के प्रकरणों में एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जावेगा ।

5. सहायक अभियंता व उनके समकक्ष एवं उनसे उच्च अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही किये जायेंगे ।

6. लेखा संवर्ग / अनुभाग अधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक/ वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एक संभाग से दूसरे संभाग में या एक शाखा से दूसरी शाखा के अधीन स्थानांतरण संवर्ग नियंत्रक / सक्षम अधिकारी के कार्यालय से ही किए जावेंगे ।

7. मानसिक रूप से विक्षिप्त, गंभीर रूप से बीमार व पूर्ण रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता (निगम कर्मचारी) का स्थानांतरण अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त कर ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो ।

8. मुख्य अभियंता /विभागाध्यक्ष/संभागीय मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता /उप मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने-अपने अधीनस्त कनिष्ठ अभियंताओं/सहायक राजस्व अधिकारी/मंत्रालयिक एवं तकनीकी कर्मचारियों जिनकी एक स्थान पर दो वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, का स्थानान्तरण अपने अधिकार क्षेत्र में करने में सक्षम होंगे ।

9. पदोन्नति के कारण स्थानांतरण किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण न करने पर उससे पदोन्नति के त्याग देने के संबंध में लिखित रूप से प्रार्थना पत्र लेकर तदुनसार उसके सेवा अभिलेख में उल्लेख कर दिया जावे ।

10. पदोन्नति होने पर कनिष्ठ/सहायक अभियंताओं को यथासंभव न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना सुनिश्चित की जायेगी तथा नवनियुक्ति अधिकारी/कर्मचारियों को न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया जायेगा। निगम हित में यदि आवश्यक हो तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस अवधि में कमी की जा सकती है।

11. सेवानिवृति में दो वर्ष शेष रहने पर अधिकारियों/कर्मचारियों को इच्छित स्थान अथवा उसके आस-पास यथासंभव पदस्थापित किया जावे।

12. जो अधिकारी/कर्मचारी दो या इससे अधिक बार पूर्व के तीन वर्षों में विनियम-6 सीसीए नियम के तहत वित्तीय अनियमितताओं के कारण दंडित हो चुके है, को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जायेगी।

13. निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना एक वृत /खंड/उपखंड में अधोवर्णित अवधि से अधिक नहीं रहेगी :-

क	अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार	अधिकतम 5 वर्ष एक खंड/उपखंड/वृत कार्यालय/ अनुभाग में
ख	परिचालन एवं संधारण कार्यालयों में कार्यरत सहायक / कनिष्ठ अभियंता/सहायक राजस्व अधिकारी	अधिकतम 3 वर्ष एक उपखण्ड में व 5 वर्ष एक खण्ड में
ग	मंत्रालयिक कर्मचारी/सी सी ए/एस एस ए/एसबीए/ इलेक्ट्रिशियन/ सीसीए अन्य तकनीकी कर्मचारी	एक खंड में अधिकतम 10 वर्ष व उपखंड/ उप कार्यालय / अनुभाग में अधिकतम 5 वर्ष
घ	विभागीय अध्यक्ष/ संभागीय / वृत / लेखाधिकारी कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी	अधिकतम 5 वर्ष बाद कार्य बदलना
च	सहायक अभियंता (परिचालन एवं संधारण) कार्यालय के उपभोक्ता लिपिक, स्टोरकीपर, रोकडिया, मीटर निरीक्षक एवं मीटर रीडर	अधिकतम 2 वर्ष तक उपखण्ड तथा 5 वर्ष खण्ड में
छ.	वृत लेखाधिकारी कार्यालय के रोकडिया/ स्टोरकीपर /सहायक स्टोरकीपर एवं सहायक भण्डार नियंत्रक कार्यालय के स्टोरकीपर/सहायक स्टोरकीपर/वार्ड कीपर	अधिकतम 3 वर्ष तक एक कार्यालय में तथा 3 वर्ष तक इन पदों पर पुनः नियुक्ति नहीं।

14. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश होने पर संबंधित नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण आदेश की अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र हो। यदि स्थानांतरण आदेश की क्रियान्वित 15 दिवस के अंदर नहीं होती है तो उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

15. निगम हित में शिथिलता बरतते हुए निगम स्थानांतरण में छूट भी दे सकता है।